

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएं विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2134

जिसका उत्तर सोमवार, 9 दिसम्बर, 2024/18 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया गया

एनपीएस वात्सल्य योजना

2134. श्री योगेन्द्र चांदोलिया:

श्री बाल्या मामा सुरेश गोपीनाथ म्हात्रे:

श्री भरतसिंहजी शंकरजी डाभी:

श्री दुलू महतो:

श्रीमती कमलजीत सरहावत:

श्री चन्द्र प्रकाश जोशी:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश भर में विशेषकर झारखंड के धनबाद में नाबालिगों के लिए दीर्घकालिक वित्तीय योजना को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई नई एनपीएस वात्सल्य योजना की मुख्य विशेषताएं और इसके उद्देश्य क्या हैं;
- (ख) देश भर में विशेषकर झारखंड के धनबाद में उक्त योजना की अधिकतम कवरेज और पहुंच सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;
- (ग) परिवारों के लिए पीढ़ियों तक रहने वाली इक्विटी और वित्तीय सुरक्षा के संदर्भ में उक्त योजना के अपेक्षित लाभ क्या हैं; और
- (घ) राजस्थान के संबंध में नाबालिगों के लिए दीर्घकालिक वित्तीय योजना को बढ़ावा देने के लिए उक्त योजना की स्थिति क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (घ): पेंशनयुक्त समाज बनाने के उद्देश्य से एनपीएस-वात्सल्य योजना, अवयस्कों के लिए एक अंशदायी पेंशन योजना, का शुभारंभ 18 सितंबर, 2024 को किया गया था। यह योजना माता-पिता/अभिभावकों के लिए तैयार की गई है, इसमें अवयस्क अभिदाता के लिए न्यूनतम 1000 रुपये प्रति वर्ष का अंशदान किया जा सकता है, इसमें अधिकतम अंशदान की कोई सीमा नहीं है। अभिदाता के व्यस्क होने पर, इस खाते को सहजता से एनपीएस खाते में परिवर्तित किया जा सकता है। यह योजना पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा विनियमित प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस (पीओपी), जिनमें बैंक शाखाएं, और गैर-बैंकिंग संस्थाएं शामिल हैं, के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। एनपीएस वात्सल्य खाते एनपीएस ट्रस्ट द्वारा उपलब्ध कराये गए ऑनलाइन प्लेटफार्म के माध्यम से भी खोले जा सकते हैं। इस योजना को लोकप्रिय बनाने और अधिकतम कवरेज सुनिश्चित करने के लिए पीएफआरडीए टीवी, रेडियो, थियेटर्स, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया के साथ-साथ आउटडोर कैम्पेन के माध्यम से झारखंड के धनबाद सहित पूरे भारत में मीडिया अभियान चलाता है।

एनपीएस वात्सल्य बच्चों के लिए आरंभ से ही बचत को बढ़ावा देकर और साथ ही सेवा निवृत्ति कार्पस के लिए शुरु से ही निवेश आरंभ करके पीढ़ियों के लिए सेवा निवृत्ति योजना की संस्कृति और आदतों को बढ़ावा देने हेतु अंतर-पीढ़ी इक्विटी और वित्तीय सुरक्षा को बढ़ावा देता है।

दिनांक 24.11.2024 की स्थिति के अनुसार, एनपीएस-वात्सल्य के अंतर्गत कुल 67,974 अभिदाताओं को नामांकित किया गया है और इस योजना के अंतर्गत राजस्थान में 2308 अवयस्क अभिदाताओं का नामांकन किया गया है।